रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-30032020-218967
CG-KA-E-30032020-218967

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]	**नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942**
No. 138]	**NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942**

केनरा बैंक

(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

(मानव संसाधन अनुभाग, प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

बेंगलूरू, 27 मार्च, 2020

सं.एचआरडब्ल्यू आई आर एस 01 एके 1077 2020.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनिमय, 1976 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता हैं, यथा: -

1. इन विनियमों को केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकता है।

2. ये विनियम मार्च की 31 तारीख 2020 से से प्रभावी से प्रभावी होंगे।

3. केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 के अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी :

	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	**अपीलीय प्राधिकारी**	**समीक्षा प्राधिकारी**
वेतनमान – I से III	सहायक महा प्रबंधक और उनकी अनुपस्थिति पर उप महा प्रबंधक	उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय या उसकी अनुपस्थिति में महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय। ऐसे मामलों में जहां उप महाप्रबंधक अनुशासन प्राधिकारी हैं, अपील महाप्रबंधक या मुख्य महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय में होगी।	महाप्रबंधक या मुख्य महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय। कार्यपालक निदेशक, यदि महाप्रबंधक या मुख्य महाप्रबंधक, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।
वेतनमान – IV और V	महाप्रबंधक या मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे मामले जहां वे अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बोर्ड की समिति
वेतनमान – VI	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे मामले जहां वे अनुशासन प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो बोर्ड की समिति	बोर्ड
वेतनमान – VII और VIII	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	बोर्ड की समिति	बोर्ड

"नोट: निर्धारित सीमा से उच्च कोई भी प्राधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकारी/समीक्षा प्राधिकारी के रूप में भी कार्य कर सकता है। यदि किसी उच्च प्राधिकारी ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है, तो उक्त मामले में अपील या समीक्षा को कम से कम अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए "।

शांतनु कुमार मजुमदार, महाप्रबंधक

[विज्ञापन III/4/असा./523/19]

नोट : संशोधित विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, अनुच्छेद 4 की निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे :-

1. अधिसूचना संख्या. 8 HO 88 GSR दिनांक 01.02.1988
2. अधिसूचना संख्या. IRS DP 325 88 GSR दिनांक 06.07.1988
3. अधिसूचना संख्या. IRS 1 9926 NAK दिनांक 11.04.1998
4. अधिसूचना संख्या. IRS:124[C]:1101:NAK दिनांक 21.5.2001
5. अधिसूचना संख्या. IRS/124C/8633/NAK/2010 दिनांक 05.03.2010
6. अधिसूचना संख्या. HRW IRS 124 (c) SJ 2542 2018 दिनांक 09.05.2018

CANARA BANK

(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

(Human Resources Wing, Head Office)

NOTIFICATION

Bangalura, the 27th March, 2020

No. HRW IRS 01 AK 1077 2020.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies [Acquisition and Transfer of Undertakings] Act, 1970 [5 of 1970], the Board of Directors of Canara Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations, further to amend the Canara Bank Officer Employees' [Discipline & Appeal] Regulations, 1976 namely,

1. These Regulations may be called the Canara Bank Officer Employees' [Discipline & Appeal] Amendment Regulations, 2020.

2. These Regulations shall come into effect from 31st day of March,2020.

3. In the Canara Bank Officer Employees' [Discipline & Appeal] Regulations, 1976 for the Schedule, the following Schedule shall be substituted namely:

	Disciplinary Authority	**Appellate Authority**	**Reviewing Authority**
Scale-I to III	Assistant General Manager or In his absence Deputy General Manager	Deputy General Manager, Head Office or in his absence General Manager, Head Office. In cases where the Deputy General Manager is the Disciplinary Authority, the Appeal shall lie to the General Manager or Chief General Manager, Head Office.	General Manager or Chief General Manager, Head Office. In case General Manager or Chief General Manager is functioning as Appellate Authority, the Executive Director.
Scale IV & V	General Manager or Chief General Manager	Executive Director or in his absence Managing Director & CEO	Managing Director & CEO or in case he is functioning as Appellate Authority, the Committee of the Board
Scale VI	Executive Director or in	Managing Director & CEO	Board

	his absence Managing Director & CEO	or in his absence or in case he is functioning as DA, Committee of the Board.	
Scale VII & Scale-VIII	Managing Director & CEO or in his absence Executive Director	Committee of Board	Board

"Note: Any higher Authority other than stipulated hereinabove can also act as the Disciplinary Authority/ Appellate Authority/ Reviewing Authority. In case, any higher Authority has acted as a Disciplinary Authority or the Appellate Authority in the matter, the Appeal or Review in the said matter should be placed atleast to next higher authority only".

SANTANU KUMAR MAJUMDAR, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./523/19]

Foot Note: The Principal Regulations were amended and published in Part III Section 4 of the Gazette of India as per details given below:

1. Notification No. 8 HO 88 GSR dated 01.02.1988
2. Notification No. IRS DP 325 88 GSR dated 06.07.1988
3. Notification No. IRS 1 9926 NAK dated 11.04.1998
4. Notification No. IRS:124[C]:1101:NAK dated 21.5.2001
5. Notification No. IRS/124C/8633/NAK/2010 dated 05.03.2010
6. Notification No. HRW IRS 124 (c) SJ 2542 2018 dated 09.05.2018

केनरा बैंक

(मानव संसाधन विभाग)

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

बेंगलूर, 27 मार्च, 2020

सं. एचआरडब्ल्यूपीएम 01 एके 1078 2020.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केन्द्र सरकार की पूर्व मंज़ूरी के साथ, केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. (1) ये विनियम केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) इन विनियमों में अन्यथा वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त इन्हें 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी समझा जाएगा।

2. केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद जिन्हें उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनियम 3 में खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-